केवल पिछड़ा, अपितु समाज द्वारा उत्पीड़ित, लांछित व अवहेलना के बोझ से त्रासित रहा है। जातीय विभेदों के शिकार ये लोग न केवल अनेक प्रकार की गम्भीर समस्याओं से जूझते रहे हैं बल्कि अमानवीय जीवन भी जीते रहे हैं। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् देश की सरकार का ध्यान इनकी ओर गया और संविधान में भी इनको अनेक सुविधाएँ प्रदान की गईं। इन वर्गों का शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उत्थान करने, इन्हें उचित सुविधाएँ व संरक्षण देने के लिए इन जातियों को एक 'अनुसूची' के अन्तर्गत रखा गया और समस्त सरकारी व शासकीय प्रयोजनों के लिए उन्हें 'अनुसूचित जाति' (Scheduled Castes) के नाम से सम्बोधित किया गया है। जातिगत विभेद के इस उग्र रूप की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए, आइये, इनके बारे में विवेचना करें।

भारत में अनुसूचित जातियाँ (Scheduled Castes in India)

जाति-प्रथा के अन्तर्गत चार प्रमुख जातियाँ—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। इन चारों के अतिरिक्त एक पाँचवाँ वर्ग भी है जिसके सदस्यों को परम्परागत रूप में अस्पृश्य या अछूत जाति कहा जाता था। गाँधीजी ने उन्हें 'हरिजन' नाम दिया और सरकार ने कुछ विशेष सुविधाएँ व संरक्षण देने के उद्देश्य से एक सूची के अन्तर्गत रखते हुए 'अनुसूचित जाति' के रूप में उनकी एक अलग पहचान बनायी। सन् 1981 की जनगणना के अनुसार इन जातियों की कुल जनसंख्या 10,47,55,211 थी, अर्थात् भारत की कुल जनसंख्या का 15.8 प्रतिशत। 1991 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या बढ़कर 13,82,23,277 (कुल जनसंख्या का 16.48 प्रतिशत) हो गया है जिनमें से 11,23,43,797 लोग ग्रामीण समुदायों में तथा 2,58,79,480 नगरीय समुदायों में निवास कर रहे हैं। इन जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या 2,92,76,455 (2,58,23,388 ग्रामीण व 34,53,067 नगरीय निवासी) उत्तर प्रदेश में हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 1,66,636,000 है।[1]

अनुसूचित जातियों की समस्याएँ (Problems of Scheduled Castes)

यह सच है कि भारत के स्वाधीन होने के बाद अनुसूचित जातियों को अन्य नागरिकों की भाँति अधिकार दे दिये गये हैं। यह भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इन जातियों की वैधानिक निर्योग्यताएँ आज दूर हो गयी हैं, फिर भी ये लोग अनेक प्रकार की समस्याओं से आज भी घिरे हुए हैं। जैसा कि उपर्युक्त आँकड़ों से स्पष्ट है, अनुसूचित जातियों के अधिकांश सदस्य गाँवों में रहते हैं और गाँव की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ उनके लिए अनुकूल नहीं हैं। इन जातियों की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं—

(1) **आर्थिक समस्याएँ**—इसमें सन्देह नहीं कि आर्थिक श्रीवृद्धि किसी भी समूह के सुख एवं प्रगति का सबसे प्रमुख कारण है और इसीलिए कहा जाता है कि राजनीतिक स्वतन्त्रता आर्थिक समस्या के बिना केवल एक कल्पना मात्र है। इस सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों की समस्या सबसे गम्भीर है।

(क) **पेशों को चुनने की स्वतन्त्रता नहीं**—अपने परम्परागत पेशों को छोड़कर अनुसूचित जातियों को पहले यह अधिकार नहीं था कि वे ऊँची जातियों के पेशों को स्वतन्त्रतापूर्वक चुन सकें। अस्पृश्यता की धारणा के कारण अभी हाल तक उन्हें सब तरह के पेशों को करने की छूट न थी। ग्रामीण समुदायों में आज भी स्थिति बहुत सुधरी नहीं है। इस निर्योग्यता के कारण इन जातियों की आर्थिक स्थिति आज भी बहुत दयनीय है और वे निर्धनता से सम्बन्धित सभी कष्टों को झेल रही हैं।

(ख) **भूमिहीन कृषक**—भारत के अधिकतर भाग में खेती करना ऊँची जातियों का एकाधिकार माना जाता है। इस कारण यह नहीं हो सकता कि अनुसूचित जाति का भूमि पर अधिकार हो। वे अधिकतर भूमिहीन श्रमिक हैं। कहा जाता था कि यह उनका सौभाग्य होगा अगर उन्हें ऊँची जाति के लोग केवल अपने खेत में काम करने का अधिकार दे दें। जमींदारी-प्रथा के समाप्त होने से पूर्व इनसे गुलामों की तरह बेगार ली जाती थी। **श्री पणिक्कर** ने उचित ही कहा है कि गुलाम कम-से-कम अपने मालिक की चल-सम्पत्ति होने के कारण मालिकों से कुछ व्यक्तिगत सम्बन्ध रखते थे और उनकी आर्थिक महत्ता के कारण उनके साथ बर्बरता का व्यवहार

1. *भारत* 2010, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2010, p. 15.

Scanned with CamScanner

अधिक नहीं किया जाता था; पर अनुसूचित जातियों के लोगों के मामले में इसका भी अभाव था। गाँवों में आज भी स्थिति बेहतर नहीं है।

(ग) **सबसे कम वेतन**—निःसन्देह अनुसूचित जाति के लोग समाज के लिए सबसे आवश्यक और मूल्यवान सेवा करते हैं। परन्तु इस काम का पारिश्रमिक उन्हें सबसे कम मिलता है, यहाँ तक कि उनको तन ढकने को कपड़ा और पेट भरने को अन्न भी नहीं मिल पाता है। वे आधे पेट खाकर, आधे नंगे रहकर जीवन व्यतीत करते रहते हैं।

(घ) **श्रम-विभाजन में निम्नतम स्थान**—फैक्टरी आदि में उनको अच्छे पदों पर काम करने का अवसर ही नहीं मिल पाता है। उन्हें केवल वे काम ही मिलते हैं जो कोई नहीं करता। योग्यता होने पर भी उचित काम न मिलने से उत्पादन को काफी धक्का पहुँचता है और उनकी आर्थिक स्थिति गिर जाती है।

(2) **सामाजिक समस्याएँ**—सामाजिक क्षेत्र में भी अनुसूचित जातियों की निर्योग्यताएँ अनेक हैं जिनके कारण उनकी समस्या न केवल गम्भीर है बल्कि दयनीय भी है। ये सामाजिक समस्याएँ निम्नलिखित हैं—

(क) **समाज में निम्नतम स्थिति**—अस्पृश्यता की धारणा ने अनुसूचित जातियों को समाज में निम्नतम स्थिति प्रदान की है। इसी कारण पहले ऊँची जातियों के लोगों द्वारा उनके स्पर्श मात्र से ही नहीं बचा जाता था, बल्कि उनके दर्शन और छाया तक भी उन्हें अपवित्र करती थी। एक मानव का दूसरे मानव के द्वारा इतना अपमान उनकी निर्योग्यता का चरम कटु रूप है।

(ख) **शिक्षा सम्बन्धी समस्या**—अनुसूचित जातियों के लड़के-लड़कियों को पहले स्कूल और कॉलेज में भर्ती होने से रोका जाता था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की स्वतन्त्रता नहीं थी। इसका फल यह था कि प्रायः शत-प्रतिशत लोग अशिक्षित थे। आज भी इन जातियों में शिक्षा का प्रसार अधिक नहीं है, विशेषकर गाँवों में।

(ग) **निवास-स्थान सम्बन्धी समस्या**—अनुसूचित जातियों को प्रायः शहरों में भी उन मुहल्लों में नहीं रहने दिया जाता है जिनमें ऊँची जाति के लोग रहते हैं। उनके लिए अलग बस्तियाँ होती हैं। गाँवों में यह समस्या और भी कटु है। अछूतों को प्रायः गाँव में नहीं रहने दिया जाता है—गाँव से बाहर उनकी बस्ती बनती है।

(3) **धार्मिक समस्याएँ**—धार्मिक दृष्टिकोण से भी अनुसूचित जातियों की अनेक निर्योग्यताएँ व समस्याएँ हैं। कुछ समय पहले तक अछूतों को मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। कानून द्वारा आज इस निर्योग्यता को दूर कर दिया गया है, फिर भी गाँवों में कहीं-कहीं यह निर्योग्यता आज भी पायी जाती है। इसके अतिरिक्त धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने और धार्मिक संस्कारों में भाग लेने के सम्बन्ध में भी निर्योग्यताएँ थीं। अनुसूचित जाति के लोग धार्मिक उपदेशों को सुन नहीं सकते और न ही शमशान-घाटों में अपने मुर्दों को जला सकते थे। ब्राह्मण इनके धार्मिक संस्कारों की पुरोहिती नहीं करते थे।

(4) **अनुसूचित जातियों में ही भेदभाव की समस्या**—अनुसूचित जातियों का आपस में ही भेदभाव बरतना स्वयं में ही एक गम्भीर समस्या है। आश्चर्य की बात यह है कि अनुसूचित जातियों में आपस में ही छुआछूत की भावना है जिसके कारण अनेक हरिजनों की निर्योग्यताएँ और कटु प्रतीत होती हैं। **श्री पणिक्कर** ने लिखा है कि अनुसूचित जातियों का भी अपना-अपना एक जातीय संगठन है और उच्च जातियों की भाँति उनमें भी असंख्य उपजातियाँ हैं जिनमें से प्रत्येक अपने को श्रेष्ठ प्रमाणित करने का प्रयत्न करती है। उदाहरणार्थ, चमड़े का काम करने वाली एक जाति सफाई का काम करने वाली दूसरी जाति से सदैव सामाजिक दूरी बनाये रखती है और विवाह-शादी तो कदापि नहीं करती। इसी विभेदीकरण की समस्या का एक दूसरा स्वरूप यह है कि अनुसूचित जातियों के वे लोग जो शिक्षा, धन-सम्पत्ति, उत्तम पेशा, राजनीतिक सत्ता आदि के मामले में उच्च स्थिति में हैं, अपनी ही जातियों के उन लोगों से सामाजिक मेल-मिलाप, खाना-पीना, शादी-ब्याह के मामले में अपने को अलग रखते हैं और उन्हें समानता का दर्जा नहीं देते। इसी से अनुसूचित जातियों में श्रेष्ठता व हीनता की भावना पनपती है, जो अन्ततः राष्ट्रीय एकता के लिए एक समस्या बन जाती है।

(5) **अन्तर्जातीय संघर्ष की समस्या**—अनुसूचित जातियों की एक और बड़ी समस्या अन्तर्जातीय संघर्ष की है। यह संघर्ष संख्या-शक्ति या आर्थिक अथवा राजनीतिक शक्ति के आधार पर घटित होती है। जिस समुदाय में जिस जाति के लोग अधिक संख्या में हैं या जो जाति आर्थिक, राजनीतिक सत्ता से शक्तिमान है वे अपने से निर्बल जाति के लोगों को जन-बल, धन-बल अथवा राज-बल से दबाने का प्रयास करते हैं और तभी अन्तर्जातीय

Scanned with CamScanner

संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। **प्रो. एम. एन. श्रीनिवास** ने लिखा है कि यह जरूरी नहीं कि प्रभुत्व स्थापित करने वाले उच्च जाति के ही सदस्य हों, वे अनुसूचित जाति के भी सदस्य हो सकते हैं। **डॉ. दुबे** के अनुसार इस प्रकार के संघर्ष उसी अवस्था में सम्भव हैं जब शक्ति-सम्पन्न जाति में एकता हो।

(6) **चुनाव के समय की समस्या**—अनुसूचित जातियों के लोगों के सामने लोकसभा, विधानसभा यहाँ तक कि पंचायतों के चुनाव के समय एक विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। विशेषकर गाँवों में, आर्थिक व राजनीतिक रूप में शक्ति-सम्पन्न जाति के लोग अनुसूचित जातियों के लोगों को स्वतन्त्रतापूर्वक वोट देने के अधिकार से वंचित करते हैं और एक विशेष प्रत्याशी के पक्ष में डरा-धमकाकर जबरदस्ती वोट डलवाने के लिए उन पर नाना प्रकार का दबाव डालते हैं, यहाँ तक कि उन पर अत्याचार भी करते हैं। ऐसे अवसरों पर भी अक्सर खूनी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चुनाव के बाद भी अनुसूचित जातियों को गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं।

(7) **अन्य जातियों द्वारा अत्याचार व उत्पीड़न की समस्या**—पहले हरिजनों पर अनेक निर्योग्यताएँ लादकर उन पर असंख्य अन्याय व अत्याचार होते थे। पर यह आशा की जाती थी कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद वैधानिक या संवैधानिक तौर पर उन्हें समान अधिकार मिल जाने के बाद उनका उत्पीड़न थम जायोगा। पर वास्तव में ऐसा हुआ नहीं है। उन पर अत्याचार व उत्पीड़न, विशेषकर गाँवों में, आज भी जारी है और कभी-कभी तो अत्यन्त उग्र रूप में। यह जरूरी नहीं कि उत्पीड़न करने वाला उच्च जाति का ही हो। एक गाँव विशेष में जो जाति अत्यन्त संगठित होती है और जिसके हाथों में आर्थिक व राजनीतिक अथवा दोनों प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, वह उसी शक्ति के बल पर गाँव के हरिजनों पर उत्पीड़न व अत्याचार चलाती रहती है। इस प्रकार के उत्पीड़न व हिंसा के दिल दहला देने वाले समाचार हमें अक्सर समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिलते हैं कि अमुक गाँव में एक प्रभावशाली जाति के द्वारा हरिजन बस्ती में आग लगा दी गयी जिसके फलस्वरूप गाँव के सभी हरिजन परिवार बेघर हो गये, अथवा बन्दूक और अन्य अस्त्रों से लैस एक जाति-विशेष के सदस्यों ने हरिजनों की बस्ती में एकाएक हमला बोलकर अनेक लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उनकी बहू-बेटियों की इज्जत लूटी और तोड़फोड़ व लूटपाट की, अथवा दस-बीस हरिजनों को एक लाइन में खड़ा करके बन्दूक की गोलियों से उनके प्राण-पखेरू उड़ा दिये। ऐसी घटनाओं के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार विशेष रूप में बदनाम हैं।

प्रगति के लिए कुछ सुझाव (Some Suggestions for Progress)

अनुसूचित जातियों की स्थिति में और अधिक सुधार करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं—

(1) **जाति-प्रथा के स्वरूप में परिवर्तन**—जाति-प्रथा प्रगतिवादी नहीं है, परन्तु जाति-प्रथा को समाप्त करना कोई आसान काम नहीं है। इसे कानून द्वारा न तो समाप्त किया जा सकता है और न ही यह उचित होगा। शिक्षा और प्रचार के द्वारा जाति-प्रथा के संरचनात्मक स्वरूपों में जो दोष आ गये हैं, उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना होगा।

(2) **नये आधार पर ग्रामीण समुदाय के सामाजिक आदर्शों का निर्माण**—अनुसूचित जातियों की दशा गाँवों में अधिक दयनीय है। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम और सामाजिक शिक्षा के विस्तार के द्वारा ग्रामीण जनता के विचारों और अन्धविश्वासों को बदलना सबसे अधिक आवश्यक है। गाँव में रहने वाली अधिकतर अनुसूचित जातियाँ भूमिहीन श्रमिक हैं और उनका उच्च जाति के द्वारा खूब शोषण होता है। अतः आवश्यकता यह है कि हरिजनों के प्रति इस मनोभाव को बदला जाय; इसके लिए भी प्रचार आदि के द्वारा निरन्तर प्रयास की आवश्यकता है।

(3) **गन्दे पेशों को दूर करना**—अनुसूचित जातियों के पेशों की गन्दगी को मशीनों की सहायता से दूर करने का प्रयास होना चाहिए। सफाई कर्मचारियों और जाटवों के पेशे विशेष रूप से गन्दे हैं। इसी प्रकार टोकरियों में सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा समाज का कलंक है, इसीलिए इस प्रथा का उन्मूलन हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सफाई कर्मचारियों को बन्द बाल्टियाँ तथा मैले को साफ करने के लिए उचित मशीनें आदि दी जानी चाहिए।

(4) **शारीरिक श्रम के प्रति श्रद्धा**—शारीरिक श्रम को ऊँची जातियाँ घृणा की दृष्टि से देखती हैं जिससे ऊँच-नीच की भावना और भी कटु होती है। इस मनोभाव को जनमत और प्रचार के द्वारा दूर करना चाहिए।

Scanned with CamScanner

(5) **शिक्षा : सामान्य और औद्योगिक**—किसी भी सुधार का एक प्रमुख आधार शिक्षा होती है। विशेषकर हरिजनों से सम्बन्धित प्रत्येक आर्थिक और सामाजिक सुधार तभी हो सकता है जब इनको अज्ञानता के अन्धकार से मुक्त कर दिया जाय। इनके अन्धविश्वासों को दूर करने के लिए, इनको अच्छी नौकरियों में नियुक्त करने के लिए, साथ ही इनकी औद्योगिक कुशलता को बढ़ाने के लिए इनकी सामान्य और औद्योगिक शिक्षा दोनों की ही व्यवस्था होनी चाहिए।

(6) **उचित निवास-स्थान**—अनुसूचित जातियों की बस्तियाँ वास्तव में मनुष्य के रहने योग्य नहीं हुआ करती हैं। इनका बहुत बुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य-स्तर और नैतिक उन्नति पर पड़ता है। इस कारण उनके निवास-स्थान की उचित व्यवस्था अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में सरकारी प्रयत्न सबसे अधिक होने चाहिए, परन्तु इस कार्य में गाँव-पंचायतों, नगर निगमों, नगरपालिकाओं आदि के भरपूर प्रयत्नों की आवश्यकता है।

(7) **उचित वेतन सम्बन्धी कानून**—अनुसूचित जातियों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए यह भी आवश्यक है कि इनको अपनी सेवाओं के लिए उचित वेतन मिले। इस दशा में भी सरकारी प्रयत्न सबसे प्रमुख हैं। नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं के अधीन जो सफाई कर्मचारी कार्य करते हैं उनके वेतन में भी आवश्यक सुधार की अत्यधिक जरूरत है और यह काम उन्हीं नगरपालिकाओं के द्वारा किया जाना चाहिए।

(8) **स्वस्थ मनोरंजन**—अनुसूचित जातियों को अन्धविश्वासों के पंजे से छुड़ाने के लिए, इनकी नशाखोरी की आदत को मिटाने के लिए और नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए यह आवश्यक है कि उनके लिए स्वस्थ मनोरंजन की समुचित व्यवस्था हो। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक खेल-कूद, भजन-मण्डली, कीर्तन, सभा, प्रदर्शनी, मेलों आदि के द्वारा मनोरंजन आदि की व्यवस्था की जा सकती है। यह काम समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत और भी विस्तृत रूप में लागू होना चाहिए। साथ-ही-साथ शिक्षाप्रद सिनेमा आदि के माध्यम से इनको वैज्ञानिक तरीके से उपलब्ध मनोरंजन के साधनों के सदुपयोग के सम्बन्ध में शिक्षित करने का प्रयत्न करना होगा।

(9) **सामाजिक सुरक्षा**—अनुसूचित जातियों के जीवन में आर्थिक और स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताएँ सबसे अधिक हैं, इस कारण इनके लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तृत आयोजन होना चाहिए। इस सम्बन्ध में सरकारी प्रयत्न सबसे अधिक होने चाहिए क्योंकि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओं को बनाने तथा उन्हें लागू करने के पर्याप्त साधन सरकार को ही अधिक उपलब्ध हैं।

इस सम्बन्ध में दिल्ली में जो सेमिनार हुआ था उसकी सिफारिशें भी उल्लेखनीय हैं—(क) हरिजन देश में सबसे अधिक निर्धन हैं। इसलिए सरकारी योजनाओं द्वारा उनकी आर्थिक दशा को सुधारने का सबसे पहले प्रयत्न किया जाय। घरेलू उद्योग-धन्धों के विकास के साथ-साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं जाति-प्रथा का वंशानुगत पेशों वाला पहलू न बना रहे। (ख) जहाँ कहीं भी आवश्यक हो वहाँ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए सामाजिक कानून बनाने चाहिए, पर शिक्षा का कार्यक्रम कानूनों से पहले चलाया जाय या उनके साथ-साथ चलाया जाय। (ग) सरकार की ओर से या किसी सार्वजनिक संस्था की ओर से जहाँ कहीं भी मकान बनाने की व्यवस्था हो वहाँ ऊँची जातियों के साथ-साथ हरिजनों को मकान मिलने चाहिए। (घ) शहरों में जातियों के आधार पर कोई भी छात्रावास नहीं रहना चाहिए और हरिजन विद्यार्थियों को सामान्य छात्रावास में अन्य जातियों के विद्यार्थियों के साथ ही रहने की सुविधा मिलनी चाहिए।

राष्ट्रीय जीवन में अनुसूचित जातियों का योगदान (Contribution of Scheduled Castes in National Life)

राष्ट्रीय जीवन में अनुसूचित जातियों का योगदान अत्यन्त महत्व का है। इन जातियों ने सदियों से अन्य जातियों की घृणा, तिरस्कार व उत्पीड़न को सहा है और पशुवत जीवन व्यतीत किया है; फिर भी इन लोगों ने समस्त अत्याचारों को सहते हुए समाज को अनुपम सेवा प्रदान की है। परम्परागत रूप में इनके हिस्से में वे सब कार्य आये जिन्हें गन्दा व अपवित्र माना जाता है। मल-मूत्र की सफाई, गन्दे नालों व सीवरों की सफाई, रास्तों की सफाई, मरे हुए पशुओं के शव को ठिकाने लगाने का काम, पशुओं के खाल उतारने से लेकर चमड़ा बनाने तक का काम और ऐसे ही असंख्य अन्य काम जिन्हें तथाकथित उच्च जातियाँ किसी भी हालत में करना पसन्द नहीं करतीं, इन्हीं सब कार्यों को अनुसूचित जाति के लोग ही सदियों से करते आये हैं और आज भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय

Scanned with CamScanner

जीवन में इन जातियों का महत्व या योगदान हमें तब समझ में आता है जब कभी-कभी अपनी माँगों के समर्थन में ये लोग मात्र दो-चार दिनों के लिए हड़ताल पर चले जाते हैं। उस दौरान सारे इलाके में गन्दगी का साम्राज्य होता है, बदबू और सड़ाँध के कारण साँस लेना भी दूभर हो जाता है और संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका से हम भयभीत हो उठते हैं। हमारे राष्ट्रीय जीवन में अनुसूचित जातियों के योगदान को स्मरण करते हुए ही **गाँधीजी** कहते थे कि **"डॉक्टर यदि डाक्टरी करना बन्द कर दे तो उसके रोगी का सर्वनाश हो जाये किन्तु यदि हरिजन अपना काम बन्द कर दे तो पूरे समाज का ही विनाश हो जाये।"**

इतना ही नहीं, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से अब तक सरकारी व गैर-सरकारी तौर पर जो अथक् प्रयास किये गये हैं, उसके फलस्वरूप अब अनुसूचित जातियों के अनेक सदस्यों ने शिक्षित होकर इस देश में उपलब्ध प्रायः सभी पेशों को अपना लिया है। सरकारी नौकरियों में उनके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उससे लाभ उठाकर अनुसूचित जातियों के अनेक सदस्य विभिन्न सरकारी/अर्द्ध-सरकारी नौकरियों में लग गये हैं और राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इनमें से लगभग 6,637 लोग उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी हैं, लगभग 5,898 लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा व लगभग 3,577 लोग भारतीय पुलिस सेवा में इस समय कार्यरत हैं। देश के उद्योग-धन्धों व प्रौद्योगिकी की उन्नति में भी अनुसूचित जातियों के योगदान को आज नकारा नहीं जा सकता। लोकसभा में 84 सीटें तथा राज्यों की विधान-सभाओं में 557 सीटें तथा पंचायतों व स्थानीय निकायों में जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं जिसके कारण इन जातियों के लोगों ने सांसद व विधायकों के रूप में, मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों, सभासद व मेयर के रूप में, यहाँ तक कि मुख्य न्यायाधीश व राष्ट्रपति के रूप में भी राष्ट्रीय जीवन में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है।

Scanned with CamScanner